सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2020/40 दर्ज तिथिः– 09.09.2020

1. श्रवण पुत्र बीरूराम जाति नायक निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. बीरूराम पुत्र कुरडाराम जाति नायक निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री सुरेन्द्र बुडानिया
अप्रार्थीः– श्री अर्जुनसिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 ता 34 है, लेकिन स्थगन प्रार्थना–पत्र में केवल प्रतिवादी संख्या 01 के खिलाफ अनुतोष चाहा गया है, जिस कारण अन्य प्रतिवादीगण को टी. आई. में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
2. प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 658/77 तादादी 0.6577 हैक्ट. व खसरा संख्या 78 तादादी 1.3911 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.0488 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है।
3. प्रार्थी के दादा कुरडाराम के नाम वर्तमान में रोही मोजा ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू में खसरा नम्बर 658/77 तादादी 0.6577 हैक्ट. व खसरा [illegible] तादादी 1.3911 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.0488 हैक्ट. कृषि भूमि स्थित चली आ [illegible] है, जिसके खातेदार वर्तमान में प्रार्थी के दादा कुरडाराम है। उक्त पैतृक सम्पत्ति [illegible] में कानूनी रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

हकदार है, परन्तु वर्तमान में खातेदार कुरडाराम ही है, क्योंकि कुरडाराम के वारिसान का इंतकाल दर्ज होना शेष है, कुरडाराम के वारिसान का कुर्सीनामा नीचे अंकित किया जा रहा है।

4. कृषि भूमि खसरा संख्या 658 / 77 तादादी 0.6577 हैक्ट. व खसरा संख्या 78 तादादी 1.3911 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 2.0488 हैक्ट. रोही मौजा बूंटिया तहसील व जिला चूरू प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति की पारिवारिक कृषि भूमि है, जिसका वर्तमान खातेदार प्रार्थी का दादा स्व. कुरडाराम है, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, विरासतन इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है और प्रार्थी के दादा कुरडाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात कुरडाराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी का पिता दावा में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 दावा में प्रतिवादी संख्या 04 ता 08 के पिता नानूराम दावा में प्रतिवादी संख्या 09 ता 12 के पिता लालचंद, दावा में प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 की माता इन्द्रा दावा में प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17 व दावा में प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 के पिता नागरराम दावा में प्रतिवादी संख्या 24 के पिता बीरूराम व दावा में प्रतिवादी संख्या 25 के पिता बीरूराम हो गये और दावा में प्रतिवादी संख्या 04 ता 08 के पिता नानूराम का स्वर्गवास होने के पश्चात दावा में प्रतिवादी संख्या 04 ता 08 कानूनी रूप से हकदार हो गये व दावा में प्रतिवादी सं. 09 ता 12 कानूनी रूप से हकदार हो गये व दावा में प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की माता इन्द्रा के स्वर्गवास होने पश्चात दावा में प्रतिवादी संख्या 13 व 14 कानूनी रूप से हकदार हो गये, दावा में प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 के पति व पिता नागरराम का स्वर्गवास होने के पश्चात कानूनी रूप से हकदार हो गये। वादगत भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 में दावा में प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा के कानूनी रूप खातेदार काश्तकार हो गये। दावा में प्रतिवादी संख्या 04 ता 08 संयुक्त रूप से वादगत कृषि भूमि के 1/9 हिस्सा के हकदार होने से खातेदार काश्तकार है व दावा में प्रतिवादी संख्या 09 ता 12 वादगत कृषि भूमि के 1/9 हिस्से के संयुक्त रूप से हकदार खातेदार, काश्तकार हो गये। दावा में प्रतिवादी संख्या 13 व 14 वादगत कृ[illegible] 1/9 हिस्से के हकदार खातेदार काश्तकार हो गये। दावा में प्रतिवादी संख्या 15 ता [illegible] भूमि में 1/9, 1/9, 1/9 हिस्से के हकदार, खातेदार, काश्तकार [illegible] 01, 02, 03, 15, 16, 17 प्रार्थी के दादा स्व. कुरडाराम के पुत्र [illegible] व दावा प्रतिवादी संख्या 04 ता 14 व 18 ता 23 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

24 ता 25 प्रार्थी के दादा स्व. कुरडाराम के पौत्र पौत्रियां व पुत्रवधू है। इस अनुसार वादगत भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से वादगत भूमियों में हित निहित है।

5. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 दावा में प्रतिवादी 02 ता 25 का परिवार हिन्दू रीति रिवाज से शासित होने वाला परिवार है, जिस पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू है, वादगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति की पारिवारिक कृषि भूमि है, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 दावा में प्रतिवादी संख्या 02 ता 25 का अपने जन्म के साथ व पुत्रवधू का विवाह होने के साथ हित निहित है एवं प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है, जो कि अपने दादा कुरड़ाराम का पौत्र होने के कारण व वादगत कृषि भूमि पैतृक होने व विरासतन मिलने के कारण प्रार्थी को जन्म से ही खातेदारी, काश्तकारी मिलने के कारण प्रार्थी को जन्म से ही खातेदारी, काश्तकारी का अधिकार प्राप्त है, इस प्रकार से प्रार्थी का वादगत कृषि भूमि में 1/27 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

6. वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 दावा में प्रतिवादी संख्या 02 ता 25 की पैतृक सम्पत्ति की अविभाजित पारिवारिक कृषि भूमियां है तथा प्रार्थी व दावा में प्रतिवादी संख्या 24 व 25 अप्रार्थी संख्या 01 बीरूराम के पुत्र व पत्नी है, जिसकी रूह से प्रार्थी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक वादगत कृषि भूमि में 1/27 हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषित करवा लेने के अधिकारी है एवं खातेदारी घोषित कर अपने हिस्से 1/12 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजित कर कब्जा कर उसका अलग खाता व लगान कायम करवा लेने के अधिकारी है।

7. अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी की माता दावा में प्रतिवादी संख्या 24 से हिन्दू रीति रिवाज से विवाह से विवाह किया व दोनों बतौर पति पत्नी ग्राम बूंटिया में रहने लग गये और दोनों के दाम्पत्य संबंधों से प्रार्थी व दावा में प्रतिवादी संख्या 25 उत्पन्न हुये और अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नि श्रीमती दुर्गा देवी के जीवित रहते हुये मणी देवी की अन्य महिला से दूसरा विवाह कर लिया और अब मणी देवी के प्रभाव में आकर अप्रार्थी संख्या 01 किसी भी प्रकार से प्रार्थी के वादगत कृषि भूमि अविभाजित हक व हिस्सा की भूमि को विक्रय करके खुर्द बुर्द कर देने पर आमदा है, तथा इस प्रकार की ऐलानिया धमकियां भी अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थी को दी गई है व पूर्ण तैयारी भी कर रखी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ऐसा करने से वर्जित करवा लेना आवश्यक हो गया है।

8. अप्रार्थी संख्या 01 अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती मणी देवी के प्रभाव में है तथा उसी सह पर वादगत कृषि भूमि में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से को रहन विक्रय या अन्य रूप से खुर्द बुर्द कर देना चाहता है, जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 01 व उसकी दूसरी पत्नि ने खरीदार भी तैयार कर लिये है। इस कारण चिरस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वह वादगत कृषि भूमि का जब तक प्रार्थी का उपरोक्त खातेदारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज ना होकर विभाजन व खाता अलग ना हो तब तक उक्त वादगत कृषि भूमि को रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करे, ना ही ऐसा कोई कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता हो।

9. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार [illegible] से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब [illegible] की ओर से अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

श्री अर्जुनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई।

10. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वह वादगत कृषि भूमि का जब तक प्रार्थी का उपरोक्त खातेदारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज ना होकर विभाजन व खाता अलग ना हो तब तक उक्त वादगत कृषि भूमि को रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करे, ना ही ऐसा कोई कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता हो।

11. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा यह वाद इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 658/77 रकबा 0.6577 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 78 रकबा 1.3911 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.0488 हैक्टेयर, पैतृक कृषि भूमि है, जो मूलतः स्वर्गीय कुरडाराम के नाम खातेदारी दर्ज रही है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक होने से उसे जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है तथा वह 1/27 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। दादा स्व. कुरडाराम की मृत्यु उपरांत विरासत दर्ज नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 (पिता) द्वारा भूमि को विक्रय/रहन/हस्तांतरित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे प्रार्थी के हितों को अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। अतः अंतिम निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना–पत्र पंजीबद्ध कर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, परंतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप जवाब बंद किया गया एवं प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

- अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निम्न तीन तत्वों का परीक्षण आवश्यक है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति।

(क) प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि स्वर्गीय कुरडाराम के नाम दर्ज रही है तथा विरासत दर्ज होना शेष है। प्रार्थी स्वयं को पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर हिस्सेदार बता रहा है। अतः प्रथम दृष्टया विवाद अस्तित्व में है एवं प्रार्थी का मामला विचारणीय प्रतीत होता है।

(ख) सुविधा का संतुलन

यदि अप्रार्थी को भूमि विक्रय/हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है तो वाद का उद्देश्य ही निष्फल हो सकता है। दूसरी ओर, अस्थायी रोक से अप्रार्थी को कोई अपूरणीय हानि नहीं होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

(ग) अपूरणीय क्षति

भूमि का विक्रय/हस्तांतरण हो जाने की स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति केवल धन से संभव नहीं होगी। अतः यह तत्व भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के आलोक में यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 को अंतिम निर्णय तक वादगत

कृषि भूमि खसरा संख्या 658/77 रकबा 0.6577 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 78 रकबा 1.3911 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.0488 हैक्टेयर, स्थित ग्राम बूंटिया, तहसील व जिला चूरू को विक्रय करने, रहन रखने, हस्तांतरित करने अथवा किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने से रोका जाता है, जब तक कि वाद का अंतिम निस्तारण न हो जाए।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:34 IST
Reason: SelfAttested